

08/01/2024

Not Press

इसलिए वहां वारी उपाख्येत्/ वाद पत्र
में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहकर
नोट प्रेस में खारीज किए जाने का
निवेदन किया। इसके वादीय प्रकरण
में कोई कार्यवाही नहीं चाहती है
अतः वाद पत्र नोट प्रेस में खारीज
किया जाता है। पर प्रकृति प्रमाण
सुमा दीका नम्बर से काम चलें।

सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ़